तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
27.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादी सं. 3 से प्रकरण में वस्तुस्थिति की जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में प्रतिवादी सं. 3 की तामील करवाया जाना आवश्यक नहीं समझता हूँ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने हाजिर अदालत होकर प्रतिवादीगण के पिताजी के नाम के आगे राजस्व रिकार्ड में जग्गूराम उर्फ जगदीश प्रसाद किये जाने की सहमति प्रदान करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। जिससे वकील प्रतिवादीगण एंव वादी ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर अन्तिम निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री पत्रावली दिनांक 31.10.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
31.10.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने अवगत कराया था कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1532, 1533 कुल किता 2 कुल रकबा 1.89 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित होकर वादी के नाम 1/3 हिस्से की खातेदारी व 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 के नाम एंव 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या ... से दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.07 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 प्रत्येक 1/9-1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के पिता की सही वल्दियत पिता का नाम जगदीश प्रसाद अंकित है तथा यही नाम वादी के शैक्षणिक रिकार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड में अंकित है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भींवराज बनाम रेवेन्यू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	नं. 1 / 2025 - 9.1.2025

के पिता का नाम जग्गूराम अंकित हो गया। उक्त जग्गूराम के तीन पुत्र वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 हुये है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के समस्त रिकार्ड में पिता का नाम वल्दियत के रूप में जग्गूराम अंकित है जो सही एंव सत्य है। वादी के पिता का वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद है परन्तु रिकार्ड में नाम दर्ज करते समय जगदीश प्रसाद के स्थान पर जग्गूराम दर्ज कर दिया जो शुद्ध किया जाना न्यायहित में है। उक्त अशुद्धि के कारण वादी सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हो रहा है तथा खातेदारी से भी महरूम हो रहे है। जग्गूराम व जगदीश प्रसाद एक ही व्यक्ति के नाम है तथा उक्त नाम के दो व्यक्ति नहीं है। इसलिए वादी के पिता का नाम जग्गूराम के स्थान पर जगदीश प्रसाद घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी ने भूमिधारी तहसीलदार व पटवारी हल्का से उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु कहा तो दिनांक 10.05.2025को इन्कार हो जाने एंव न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने एंव दुरूस्ती का आदेश लाने हेतु कहे जाने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र पेश कर वादी के नाम दर्ज भूमियों में वादी के पिता का नाम जग्गूराम की जगह जगदीश प्रसाद अर्थात वादी का सही एंव वास्तविक नाम भींवराज बिजारणियॉ पुत्र जग्गूराम के स्थान पर भींवराज बिजारणियॉ पुत्र जगदीश प्रसाद घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वांछित जॉच रिपोर्ट चाही गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2705/भू.अ./2025 दिनांक 07.10.2025 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया कि वादग्रस्त कृषि भूमियों में वादी भींवराज बिजारणियां पुत्र जग्गूराम जाति जाट निवासी श्रीमाधोपुर का परिवर्तन जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 2884 दिनांक 03.01.2025 के द्वारा हुआ है। वादी भींवराज बिजारणियां पुत्र जग्गूराम एंव भींवराज बिजारणियां पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी श्रीमाधोपुर नाम व वल्दियत का इस गांव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं होने तथा भींवराज बिजारणियां के पिता जग्गूराम व जगदीश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रसाद दोनों नाम एक ही व्यक्ति होने से नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में की है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील वादी ने प्रकरण में बहस सुनी जाने का निवेदन किया।

वकील वादी के निवेदन पर वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात् नामान्तकरण संख्या 2884, जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 25.09.2025, आधार कार्ड की प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति, रिपोर्ट पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1532, 1533 कुल किता 2 कुल रकबा 1.89 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 प्रत्येक 1/3 – 1/3 हिस्से की खातेदारी तथा भूमि खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.0500 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 प्रत्येक 1/9 – 1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड होना तथा राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता का नाम जगूराम दर्ज इन्द्राज होना प्रकट होता है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता का उक्त नाम जरिये विरासतन नामान्तकरण संख्या 2884 दिनांक 03.01.2025 के द्वारा जगूराम उर्फ जगदीश प्रसाद के फौत होने पर दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आपस में एक ही परिवार से होकर सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम जगूराम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जबकि वादी के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड की फोटोप्रति, शैक्षणिक दस्तावेजात् में वादी के पिता का सही नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

जगदीश प्रसाद व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आधार कार्ड में पिता का नाम जगूराम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जगूराम व जगदीश प्रसाद दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना प्रकट होता है। इस नाम व वल्दियत के नाम से अन्य कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं होने से नाम दुरूस्त किये जाने की तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अभिशंषा की है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट व पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य हुए राजीनामा अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच व अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1532, 1533 कुल किता 2 कुल रकबा 1.89 हैक्टर में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 प्रत्येक के 1/3 – 1/3 हिस्से की खातेदारी तथा भूमि खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.0500 हैक्टर में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 प्रत्येक 1/9 – 1/9 हिस्से की खातेदारी में वादी का नाम भंवराज बिजारणियॉ पुत्र जगदीश प्रसाद उर्फ जगूराम एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता के नाम के आगे जगूराम उर्फ जगदीश प्रसाद घोषित किया जाकर नाम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की तहसीलदार श्रीमाधोपुर को स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:44 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)